......मान .... बनाम ....

.... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.7.24	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. वकील पक्षकारान द्वारा मुताबिक राजीनामा वाद निर्णीत करने का निवेदन किया गया। प्रति [illegible] 4 कार्यालय पत्रावली पर है। मैंने तमाम पत्रावली का सावधानी से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारों के हस्ताक्षरों, ID कार्ड, स्वीकारोक्ति व राजीनामा पक्षकारान, तथा लोक अदालत की भावना ध्यान में रखते हुए दावा वादी स्वीकार करना उचित समझता हूँ। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। जारी आ. पत्र. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉगोद जिला कोटा।

बइजलास रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 22 / 23 2023 दावा / बउनवान / आयुष / लव वगैरा

आयुष पुत्र शिवराज जाति धाकड निवासी ग्राम गेहूंखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा।

—वादी—

—बनाम—

1. लव पुत्र युवराज जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा,
2. कुश पुत्र युवराज जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा,
3. बृजमोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद,
4. राज्य सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद। —प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::— दिनॉक :- 13.7.24

वादी की ओर से इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 के संयुक्त खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी माल ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद में खाता संख्या 110 नई के खसरा नंबर 185 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 186 रकबा 3.89 हैक्टर, खसरा नंबर 307 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नंबर 308 रकबा 0.33 हैक्टर कुल किता 4 की कुल 4.56 हैक्टर आराजी स्थित है एवं खसरा नंबर 237 रकबा 2.46 हैक्टर आराजी स्थित है। इसी के साथ ही माल ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद में खसरा नंबर 191 रकबा 2.33 हैक्टर, खसरा नंबर 278 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नंबर 279 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 280 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नंबर 306 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नंबर 41 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 42 रकबा 2.30 हैक्टर कुल किता 7 की कुल 6.23 हैक्टर आराजीयात स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात की सभी सहखातेदारान मौखिक पारिवारिक विभाजन अनुसार अपने—अपने हिस्से को काबिज काश्त कर रहे हैं। उक्त पुश्तैनी आराजीयात का उपयोग—उपभोग भी सहखातेदारान काफी समय से काश्त करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त सम्पूर्ण आराजीयात पास—पास ही स्थित है जिनमें किसी प्रकार की दूरियां नहीं है। कुछ समय पूर्व हल्का पटवारी के माध्यम से वादी की जानकारी में आया कि वादी जिस आराजी हिस्सा को काश्त कर फसल का उपयोग—उपभोग करता चला आ रहा है, वह आराजी उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

एवं प्रतिवादी कं. 1 व 2 जिस हिस्सा आराजी को काबिजकाश्त कर फसल का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। वह आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं एवं प्रतिवादी कं. 1 व 2 जिस आराजी को काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं, वह आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी दुरूस्ती न्यायहित में किया जाना अत्यन्त आवश्यक होने से यह वादपत्र माननीय न्यायालय में पेश है। माल ग्राम गेंहूखेडी के खसरा नंबर 237 रकबा 2.46 हैक्टर आराजी पर मौके पर वादी काबिजकाश्त है एवं खसरा नंबर 191 रकबा 2.32 हेक्टर आराजी को प्रतिवादी कं. 1 व 2 के संयुक्त रूप से काबिजकाश्त है। उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्त कर मुताबिक काबिजकाश्त रेकार्ड दुरूस्त करना आवश्यक है जिससे किसी प्रकार की भविष्य में लडाई झगडा होने की सम्भावना नहीं रहेगा एवं राजस्व रेकार्ड की त्रुटि भी दूर हो जावेगी जिसमें प्रतिवादी कं. 4 को किसी प्रकार की हानि नहीं है। वादी के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त की आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी कं. 1 व 2 का नाम दर्ज हाने से वादी को अपनी आराजी का विकास कार्य करवाने व कृषि ऋण आदि प्राप्त करने व अनुदान/सहायता राशि प्राप्त करने में काफी परोशानी हो रही है तथा वादी द्वारा प्रतिवादी कं. 1 व 2 से तहसील कार्यालय में चलकर राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरूस्त करवाने की कहने पर प्रतिवादी कं. 1 व 2 तैयार नहीं होने एवं बाद में पटवारी हल्का महोदय से भी उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने की कहने पर उनके द्वारा मना कर देने से माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत कर अपने कब्जेकाश्त की आराजी को अपने हक में घोषण करवाना आवश्यक हुआ है। यही वाद की विषयवस्तु है। वादकारण आज से एक माह पूर्व वादी द्वारा वादी के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त की आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कं. 1 व 2 का नाम दर्ज होने से वादी को अपने आराजी का विकास कार्य करवाने व कृषिऋण आदि प्राप्त करने व अनुदान/सहायता राशि प्राप्त करने में काफी परेशानी होने एवं पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ है। अतः माल ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद के खसरा नंबर 237 रकबा 2.46 हैक्टर आराजी का वादी को एवं खसरा नंबर 191 रकबा 2.32 हैक्टर का प्रतिवादी कं. 1, 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्त फरमाया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादीगण की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी उभय पक्षकारान द्वारा न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने को सहमति व्यक्त की। राजीनामा पक्षकारान प्रमाणित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारों के अभिवचनों, रेकार्ड, दस्तावेजात व राजीनामा पक्षकारान के अनुसार दावा वादी स्वीकार करना उचित समझता हूं।

अतः दावा वादी स्वीकार कर माल ग्राम माल ग्राम गेंहूखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा खसरा नंबर 237 रकबा 2.46 हैक्टर आराजी का वादी को एवं खसरा नंबर 191 रकबा 2.32 हैक्टर का प्रतिवादी कं. 1, 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर रेकार्ड दुरस्त किया जावे।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

इस प्रकरण में समझौते के अनुसार भूमि विनिमय व हस्तान्तरण परिलक्षित होता है। नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाकर रिकार्ड में अमल दरामद करावे। तद्नुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 13.7.21 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद